भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2335
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

एससी और एसटी के विरुद्ध अपराध

†2335. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों और अत्याचारों को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कार्रवाइयां की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी हिंसा और अपराधों को कम करने के लिए कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास सहित क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। देश भर में वर्ष 2020-2022 के दौरान अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के विरूद्ध अपराध के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:-

अनुसूचित जातियाँ (2022-2020)	अनुसूचित जनजातियाँ (2022-2020)
158773	27138

लोक सभा अता. प्र.सं. 2335 दिनांक 10.12.2024

(ख) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस' और 'लोक व्यवस्था', 'राज्य सूची' के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित नागरिकों की जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों का होता है, जो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार देश भर में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध को रोकने में सहयोग करती है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गए प्रमुख कदम अधोलिखित है:-

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत अवधारणा क्षेत्र और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण हेतु मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन तैयार करना, विशेष न्यायालयो और मुख्य रूप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018" के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया था। एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए अत्याचारों के खिलाफ़ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की स्थापना की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है, जिसका उद्देश्य उनकी शिकायतों का निवारण करना और कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इन अधिनियमों, नियमों और इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत (एनएएलएसए) के साथ भी सहयोग लिया गया है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने की सलाह देता रहा है। ये परामर्श इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अत्याचार-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में पुलिसिंग बुनियादी ढांचे से सुसज्जित पुलिस कर्मियों को तैनात करने की सलाह भी दी है।

इसके अलावा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989" के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, "नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955" तथा "अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम 1989", के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें शामिल हैः

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों का कार्यकरण और सुदृढ़ीकरण।

(ii) विशेष न्यायालयों की स्थापना और कार्यकरण।

(iii) अत्याचार पीड़ितों की राहत और पुनर्वास।

(iv) अंतर-जाति विवाह के लिए प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है।

(v) जागरूकता सृजन।

******